प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या:-103/2016/2997/33-3-2016-36/2015 टी.सी.

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2016**

विषय:- प्रदेश में गठित नई पंचायतों में उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 एवं नियम-175 में निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार आडिट कराए जाने हेतु मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी एवं सहकारी समितियां को अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के संबधं में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, समिति (वित्त), अनुभाग-4, विधान सभा, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-598/46/प.रा.स./स0वि0-4/2015 दिनांक 05.12.2016 की प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए अवगत कराना है कि उ0प्र0 विधान सभा की "पंचायतीराज समिति" (2015-16) की प्रथम उप समिति दिनांक 20 जनवरी, 2016 से 24 जनवरी, 2016 तक आजमगढ़ मण्डल एवं वाराणसी मण्डलों के अध्ययन-भ्रमण हेतु गयी थी। उक्त भ्रमण के दौरान 23 जनवरी, 2016 को विकास भवन, जिला गाजीपुर में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी एवं सहकारी समितियां एवं पंचायतें की आडिट आपत्तियों पर हुई बैठक में जिला पंचायत, गाजीपुर के आडिट रिपोर्ट वर्ष 2010-11 की जो आपत्तियां विधान सभा के वार्षिक प्रतिवेदन (2010-11) में शामिल हैं पर जिला पंचायत द्वारा तैयार की गयी व्याख्यात्मक टिप्पणी दिनांक 23.01.2016 को जिला पंचायत गाजीपुर सभागार में विधान सभा की उप समिति की बैठक में संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी व्याख्यात्मक टिप्पणियों के सम्मुख आडिट की समीक्षा आख्या अंकित कर दी गयी है। जिसमें मुख्य रूप से यह पाया गया कि संस्था द्वारा आपत्तियों का अनुपालन न करके, मात्र उत्तर तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, वह भी तथ्यपरक न होते हुए और बिना अभिलेखों को देखे ही तैयार किया गया था।

http://shasnadesh.up.nic.in

उक्त भ्रमण के दौरान समिति ने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए 01 माह के भीतर पूरे प्रदेश में गठित नई पंचायतों में नियम-175 में निर्दिष्ट बैठक आयोजित कर परिपालन आख्या 04 प्रतियों में तैयार करके 01 प्रति जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को 02 प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट को एवं 01 प्रति अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा हस्ताक्षरित कार्यालय प्रति जिला पंचायत में रखी जायेंगी।

2- समिति द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 18 से 24 नवम्बर, 2016 के सहारनपुर व मेरठ मण्डल के अपने अध्ययन भ्रमण में अभिलेख तैयार न होना, अभिलेखों की जांच न करना आडिट की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जिसे गम्भीरता से लिया गया है और निर्देश दिया गया है कि जांच अधिकारियों/आडिट अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर अभिलेख उपलब्ध कराया जाय तथा आडिट रिपोर्ट/आपत्तियां जो विधान सभा के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित हो उसे विशेष तौर पर अनुपालन करके निस्तारित किया जाय।

3- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 विधान सभा की पंचायतीराज समिति के निर्देशों एवं उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 के अन्तर्गत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों के वार्षिक आडिट से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेख आडिट निरीक्षण के समय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/आडिट पार्टी को उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद के अधिकारियों को निर्देश दिया जाय कि 01 माह में आडिट संबंधी समस्त अभिलेख उपलब्ध कराकर आडिट करा लिया जाए तथा अनुपालन आख्या संबंधित को यथा समय उपलब्ध करा दिया जाय।

दिनांक 14.12.2016 को मा0 समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें मा0 समिति द्वारा यह अप्रसन्नता व्यक्त की गयी कि स्थानीय स्तर पर आडिट टीमों को आडिट करने हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। आडिट टीम को अधूरा/अपूर्ण अभिलेख ही उपलब्ध कराये जाते है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है।

4- उक्त प्रस्तर-2 में समिति द्वारा अध्ययन भ्रमण के समय हुई असुविधाओं के संबंध में जनपद के जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी को उक्त तथ्य से संज्ञानित कराते हुए निर्देश दिया जाय कि उ0प्र0 विधान सभा की पंचायतीराज समिति के अध्ययन भ्रमण के समय विधान सभा के वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित वांछित अन्य संबंधित समस्त पूर्ण अभिलेख समिति के समक्ष उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करायें। यदि आधे-अधूरे अभिलेख अथवा अभिलेख उपलब्ध न कराने की दशा में संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिन मामले में शासन स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित हो, उन सभी मामलों के कार्यवाही का समुचित प्रस्ताव स्पष्ट संस्तुति/अभिमत के साथ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

http://shasnadeshup.nic.in

मण्डल के अधीनस्थ जनपदों के जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाय कि आडिट प्रतिवेदन के निस्तारण के संबंध में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिमाह बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक आडिट प्रस्तरों का निस्तारण/व्याख्यात्मक टिप्पणी मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) उ0प्र0 शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

कृपया व्यक्तिगत ध्यान देते हुए निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, समित (वित्त) अनुभाग-4 को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-598/46/प.रा.स./स0वि0-4/2015 दिनांक 05.12.2016 के सन्दर्भ में।
2. निदेशक,पंचायतीराज (लेखा), उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक,पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
6. अपर मुख्य अधिकारी, उ0प्र0।
7- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार मौर्य)
विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in